न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी श्री बृजेन्द्र मीना, आर.ए.एस.

मु.न.	तारीख रजु	तारीख निर्णय
100/2020	26/11/2020	29.4.26

1. प्रभू पुत्र धाधू जाति बैरवा निवासी खेडा वाढ रामगढ तहसील तलावडा
2. संतरा पुत्री दूण्डा पनि हंसराज जाति बैरवा निवासीखेडा वाढ रामगढ तहसील तलावडा

--वादीगण--

बनाम

1. प्रहलाद पुत्र मुडया जाति बैरवा निवासी खेडा वाढ रामगढ तह0 तलावडा
2. छोटी पनि मूडया जाति बैरवा निवासी खेडा वाढ रामगढ तह0 तलावडा
3. सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील तलावडा
4. राजस्थान सरकार जरिये लैण्डहोल्डर तहसीलदार तहसील तलावडा
5. बैंक ऑफ बडौदा शाखा गंगापुर सिटी जरिये शाखा प्रबंधक
6. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गंगापुर सिटी जरिये शाखा प्रबंधक

--प्रतिवादीगण--

<u>दावा बाबत् घोषणा विभाजन खातेदारी इंन्द्राज दुरुस्ती</u>

उपस्थितः- श्री बृजनन्दन दीक्षित एडवोकेट वादीगण की ओर से
श्री आर के मिश्र एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से
श्री आलोक गोयल एडवोकेट प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से

निर्णय

वादीगण ने यह वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की सहखातेदारी की भूमि खसरा नं0 5 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नं0 8 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नं0 10 रकबा 0.02 हेक्टर गै0मु0 चाह, खसरा [illegible] 11 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नं0 20 रकबा 0.58 हेक्टर, खसरा [illegible] 464 रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं0 21/467 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं0 22 रकबा 0.0[illegible] हेक्टर गैर मु. झेरा किता 8 कुल रकबा 2.23 हेक्टर स्थित, ग्राम खेडावाढ रामगढ तहसील

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:44 IST
Reason: SelfAttested

तलावडा में स्थित है। जिसका लगान वादीगण द्वारा राज्य सरकार में जमा करवाते चले आ रहे है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 उपरोक्त भूमि खण्डो को अब तक सामलाती काश्त करते चले आ रहे है। लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 की नियत में बदनियती आ गई है। वादीगण अपने हिस्से 2/3 की भूमि की जुताई व बुवाई करने के लिए दिनांक 05.12.2017 को उक्त भूमि खण्डो पर काश्त करने गये तो प्रतिवादीगण नें उक्त भूमि खण्डो में जोत लगाने से इंकार कर दिया ओर कहा कि तुम्हे काश्त नही करने देंगे। वादीगण नें कहा कि सामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि की है। हम हमारे हिस्से 2/3 भूमि को काश्त करेंगे, लेकिन प्रतिवादीगण नें वादीगण के हिस्से की भूमि को काश्त करने से मना कर दिया और झगडा करने को उतारू हो गये इस कारण दावा बावत् घोषणा, बटवारा, दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का किया जाना आवश्यक हुआ। वादीगण व प्रतिवादीगण का अब शामिल में काश्त करना संभव नही है। वादी संख्या 1 व 2 का उक्त भूमि पर प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा है एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा है। इसलिए इसके अनुसार उक्त समस्त भूमि भूखण्डो का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किया जाना अतिआवश्यक है। अतः भूमि खसरा नं0 नं0 5 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नं0 8 रकबा 0.29 हेक्टर, खसरा नं0 10 रकबा 0.02 हेक्टर गैर. मु. चाह खसरा नं0 11 रकबा 0.44 हेक्टर, खसरा नं0 20 रकबा 0.58 हेक्टर, खसरा नं0 21/464 रकबा 0.41 हेक्टर, खसरा नं0 21 /467 रकबा 0.04 हेक्टर, खसरा नं0 22 रकबा 0.01 हेक्टर गैर मु. झेरा किता 8 कुल रकबा 2.23 हेक्टर स्थित ग्राम खेडावाढ रामगढ तहसील तलावडा में स्थित है, का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन कर वादीगण संख्या 1 व 2 का प्रत्येक का हिस्सा 1/3–1/3 एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा घोषित किया जाकर प्रथक प्रथक खातेदारी में अंकन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने का डिक्री फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 बावजूद सुचना हाजिर अदालत उपस्थित नही हुये है, इसलिये प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से एडवोकेट आलोक गोयल व

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (प्र०मा०) ... सैली

प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से आर के मिश्र एडवोकेट उपस्थित हुये। प्रतिवादी सं0 5 की ओर से जवाब पेश नही किया गया है। प्रतिवादी संख्या 6 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जो शमिल किया जाकर तनकीयात कायम की गई।

वाद पत्र के समर्थन में वादीगण ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 27 ग्राम खेडावाढ रामगढ व नकल नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किये है।

वादीगण का दावा तहसीलदार तलावडा से विभाजन स्कीम मंगवाये जाने हेतु दिनांक 28/01/2026 को प्राथमिक डिक्री किया गया। तहसीलदार तलावडा से दिनांक 22/04/2026 को विभाजन स्कीम निम्न अनुसार प्राप्त हुई :-

1. गुरूदयाल, रामकरण, राजेश कुमार, सुरेश चन्द पुत्रान प्रभू, चन्द्रकलॉ पुत्री प्रभू हिस्सा 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, संतरा पुत्री टुण्डा पत्नि हंसराज हिस्सा 1/3, प्रहलाद पुत्र मूडया हिस्सा 1/3, राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा खाता सख्या 27 खसरा नम्बर 5 रकबा 0.44 है0, 10 रकबा 0.02 है0 11 रकबा 0.44 है0, 20 रकबा 0.58 है0, 22 रकबा 0.01 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.49 है0 सा0देह0 खातेदार।
2. गुरूदयाल, रामकरण, राजेश कुमार, सुरेश चन्द पुत्रान प्रभू, चन्द्रकलॉ पुत्री प्रभू हिस्सा पूर्ण राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, खाता सख्या 27 खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1467 है0, 21/464 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2467 है0 सा0देह0 खातेदार।
3. प्रहलाद पुत्र मूडया हिस्सा 1/2, राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा संतरा पुत्री टुण्डा पत्नि हंसराज हिस्सा 1/2, खाता सख्या 27 खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1433 है0, 21/467 रकबा 0.04 है0 21/464 रकबा 0.31 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4933 है0 सा0देह0 खातेदार प्रस्तुत की है।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:44 IST
Reason: SelfAttested

बहस विद्वान अधिवक्ता विभाजन स्कीम पर सुनी गई। वकील वादी द्वारा तहसीलदार तलावडा से प्राप्त विभाजन स्कीम अनुसार वादी का हिस्सा विभाजित किया जाकर वादी का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (स0मा0)

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो एवं

उसमे प्रस्तुत विभाजन स्कीम का अवलोकन किया गया। चूंकि दावा विभाजन का है एवं वादी विभाजन स्कीम अनुसार विभाजन करवाये जाने पर सहमत है। इसलिय वादी का दावा मुताबिक विभाजन स्कीम अनुसार डिक्री किया जाना प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण का दावा डिक्री किया जाकर तहसीलदार तलावडा को आदेशित किया जाता है किः-

1. गुरूदयाल, रामकरण, राजेश कुमार, सुरेश चन्द पुत्रान प्रभु, चन्द्रकलॉ पुत्री प्रभु हिस्सा 1/3 राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, संतरा पुत्री टुण्डा पत्नि हंसराज हिस्सा 1/3, प्रहलाद पुत्र मूडया हिस्सा 1/3, राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा खाता सख्या 27 खसरा नम्बर 5 रकबा 0.44 है0, 10 रकबा 0.02 है0 11 रकबा 0.44 है0, 20 रकबा 0.58 है0, 22 रकबा 0.01 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 1.49 है0 सा0दे0 खातेदारके नाम दर्ज की जावे।
2. गुरूदयाल, रामकरण, राजेश कुमार, सुरेश चन्द पुत्रान प्रभु, चन्द्रकलॉ पुत्री प्रभु हिस्सा पूर्ण राहिन स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा गंगापुर सिटी, खाता सख्या 27 खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1467 है0, 21/464 रकबा 0.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.2467 है0 सा0दे0 खातेदार के नाम दर्ज की जावे।
3. प्रहलाद पुत्र मूडया हिस्सा 1/2, राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा तलावडा संतरा पुत्री टुण्डा पत्नि हंसराज हिस्सा 1/2, खाता सख्या 27 खसरा नम्बर 8 रकबा 0.1433 है0, 21/467 रकबा 0.04 है0, 21/464 रकबा 0.31 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.4933 है0 सा0दे0 खातेदार प्रस्तुत की है। इसी अनुसार समस्त राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज किया जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का जूज रहेगी। पर्चा डिक्री पृथक से जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक [illegible] को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Brijendra Meena
Date: 2026.05.20 17:07:44 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेन्द्र मीना)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी